<u>कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर।</u>

प्रशासनिक आदेश संख्या– 08 / 2020
दिनांक 08 सितम्बर, 2020

आदेश

जनपद न्यायाधीश, बुलन्दशहर द्वारा अपर जिलाधिकारी प्रशासन, बुलन्दशहर के पत्रांक 4577 / न्याय सहायक / कोरोना वायरस / 2020 दिनांक 08 सितम्बर, 2020 व मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर के पत्रांक सी0एम0ओ0 / कोविड–19 / 2020 दिनांक 08.09.2020 के द्वारा यह सूचित किया गया है कि दिनांक 08.09.2020 को श्रीमती अनुप्रति यादव (अधिवक्ता) पत्नी पिन्टू यादव एवं श्री अनुपम यादव (अधिवक्ता), जिला न्यायालय, बुलन्दशहर, जो न्यायालय परिसर जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर में कार्यरत है, इनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है तथा इस आधार पर जनपद न्यायाधीश, बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय परिसर का सैनेटाईजेशन करने हेतु 48 घण्टे न्यायालय परिसर बंद किया गया है।

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय एवं तीनों अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर के परिसर में स्थित है, इस कारण प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर एवं तीनों अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर के न्यायालय दिनांक 09.09.2020 व दिनांक 10.09.2020 को बन्द रहेगा तथा दिनांक 11.09.2020 को न्यायालय / कार्यालय यथावत खुलेगे।

सर्व सम्बन्धित सूचित हो।

08/09/20

दिनांक–08.09.2020

(हरकेश कुमार)
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय
बुलन्दशहर।

<u>प्रतिलिपिक निम्नलिखित को आवश्यक सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रषित–</u>

1 सिस्टम ऑफिसर को जनपद न्यायालय की बेबसाईट पर अपलोड़ करने के लिए।

9 समस्त परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर।

08/09/20

दिनांक–08.09.2020

(हरकेश कुमार)
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय